दिनांक **27.05.2023** को अपरान्ह **04.00** बजे सभागार कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की **112**वीं बैठक के कार्यवृत्त।

निम्न सदस्यो ने ऑनलाईन/ ऑफलाईन बैठक में भाग लिया :-

1.	**डॉ० अरूण कुमार** कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2.	**डॉ० पी०के० दशौरा,** पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
3.	**श्री बाबु लाल जुनैजा,** अध्यक्ष, गुरू गोविन्द सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, हनुमानढ़ एवं माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
4.	**डॉ० ए०आर०के० पठान,** आचार्य एवं अधिष्ठाता, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर एवं राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात वैज्ञानिक	सदस्य
5.	**डॉ० सीमा जग्गी,** सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नामनिर्देशित	सदस्य
6.	**श्री एस०एस० शेखावत,** अतिरिक्त निदेशक (कृषि), बीकानेर एवं प्रतिनिधि निदेशक (कृषि), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान सरकार	सदस्य
7.	**डॉ० दाता राम कुम्हार,** निदेशक, भू-सदृश्यता एवं राजस्व सृजन निदेशालय, बीकानेर।	सदस्य
8.	**डॉ० वीर सिंह,** निदेशक, छात्र कल्याण निदेशालय, बीकानेर।	सदस्य
9.	**डॉ० नीना सरीन,** आचार्य (प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन), सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
10.	**डॉ० योगेश शर्मा,** आचार्य (कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान), कृषि महाविद्यालय, बीकानेर।	सदस्य
11.	**डॉ० राजेन्द्र सिंह राठौड़,** सह-आचार्य (उद्यानिकी), खजूर अनुसंधान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर।	सदस्य
12.	**डॉ० ममता सिंह,** सहायक आचार्य (खाद्य एवं पोषण), सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	सदस्य
13.	**सुनीता चौधरी,** आर०ए०एस० कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	सदस्य सचिव

श्री जगदीश चन्द्र, माननीय विधायक (सादुलशहर) एवं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, श्री रूपेन्द्र सिंह कुन्नर, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित प्रगतिशील किसान, डॉ० नीरज के० पवन, संभागीय आयुक्त बीकानेर एवं प्रतिनिधि शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार, श्रीमान् शासन सचिव (कृषि उत्पादन), श्रीमान् शासन सचिव (शिक्षा) एवं श्रीमान् शासन सचिव (पशुपालन) के द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं लिया गया।

प्रबन्ध मण्डल अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय कुलपति ने प्रारंभिक उद्बोधन में प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम-112/ 2023-3/1471	**110वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.02.2023 तथा 111वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 110वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.02.2023 तथा 111वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.02.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
स्वाकेराकृवि/बोम-112/ 2023-3/1472	**110वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.02.2023 तथा 111वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.02.2023 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 110वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 08.02.2023 तथा 111वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.02.2023 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
स्वाकेराकृवि/बोम-112/ 2023-3/1473	**60वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.05.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 60वीं विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 27.05.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
स्वाकेराकृवि/बोम-112/ 2023-3/1474	**विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचना की पुष्टि करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/आदेश/अधिसूचना की पुष्टि की गई।
स्वाकेराकृवि/बोम-112/ 2023-3/1475	**विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.05.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत्।** माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.05.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। (कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)

स्वाकेराकृवि/बोम-112/ 2023-3/1476	1. **विश्वविद्यालय में नवीन पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में वित्त का आदेश दिनांक 20.04.2023.** राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में जहां NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नही थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत् वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.04.2023 पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त माननीय प्रबंध मण्डल द्वारा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प० 13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर, दिनांक 20.04.2023 एवं प्रशासनिक विभाग (कृषि विभाग) द्वारा जारी आदेश क्रमांक प० 8(10) कृषि-3/2022 दिनांक 26.05.2023 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही : कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)** 2. **CPF/EPF के स्थान पर OPS लागू करने के संबंध में वित्त का आदेश दिनांक 20.04.2023.** राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में जहां CPF/EPF लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.04.2023 पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त माननीय प्रबंध मण्डल द्वारा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प० 13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर, दिनांक 20.04.2023 व प्रशासनिक विभाग (कृषि विभाग) द्वारा जारी आदेश क्रमांक प० 8(10) कृषि-3/2022 दिनांक 26.05.2023 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही : कुलसचिव/वित्त नियंत्रक)** 3. **वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.04.2022 एवं 19.05.2022 लागू करने के संबंध में।** वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र व आदेश का अवलोकन कर माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालयों में नवीन अंशदायी पेंशन हेतु वेतन से मासिक कटौती के संबधं में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम अनुभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प० 12(3) वित्त/नियम/2022 जयपुर, दिनांक 18.04.2022 एवं दिनांक 01.01.2022 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम अनुभाग) द्वारा जारी आदेश क्रमांक प० 12(3) वित्त(नियम)/2022 जयपुर, दिनांक 19.05.2022 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **(कार्यवाही : वित्त नियंत्रक)**

File

स्वाकेराकृवि/बोम-112/ 2023-3/1477	अन्य प्रकरण कुलपति की अनुमति से विचार किया जायेगा ।
	i. **तकनीकी सहायक/ फार्म मैनेजर (कृषि), प्रोग्रामर सहायक (लेब टेक्नीशियन), प्रोग्रामर सहायक (कम्प्यूटर) तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों पर भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 14.10.2018 का परिणाम घोषित करने बाबत।**
	विश्वविद्यालय विज्ञापन संख्या 2/2017 दिनांक 02.02.2017 एवं संशोधित विज्ञापन सूचना 4/2017 द्वारा जारी विज्ञापन में तकनीकी सहायक/ फार्म मैनेजर (कृषि), प्रोग्रामर सहायक (लेब टेक्नीशियन), प्रोग्रामर सहायक (कम्प्यूटर) तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों भर्ती हेतु दिनांक 14.10.2018 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी और जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय विज्ञापन संख्या 2/2017 दिनांक 02.02.2017, विज्ञापन संख्या 3/2017 दिनांक 08.06.2017, (संशोधित विज्ञापन सूचना 4/2017 दिनांक 23.09.2017) में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में किये गये रोस्टर संशोधन के अनुसार कार्यवाही करने के प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वर्ष 2019 में हुए रोस्टर संशोधन को उक्त विज्ञापन में शामिल किये जाने की संभावना, वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक में 5 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने तथा उक्त अवधि के दौरान योग्य उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह पारित किया गया कि वर्ष 2019 में हुए रोस्टर संशोधन को शामिल करने के लिए तकनीकी सहायक/ फार्म मैनेजर (कृषि), प्रोग्रामर सहायक (लेब टेक्नीशियन), प्रोग्रामर सहायक (कम्प्यूटर) तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 14.10.2018 को निरस्त करके ही राज्य सरकार के निर्देशों की पालना की जा सकती है।
	अतः विश्वविद्यालय विज्ञापन संख्या 2/2017 दिनांक 02.02.2017, विज्ञापन संख्या 3/2017 दिनांक 08.06.2017, (संशोधित विज्ञापन सूचना 4/2017 दिनांक 23.09.2017) के अन्तर्गत विज्ञापित तकनीकी सहायक/ फार्म मैनेजर (कृषि), प्रोग्रामर सहायक (लेब टेक्नीशियन), प्रोग्रामर सहायक (कम्प्यूटर) तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 14.10.2018 को निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है। (कार्यवाही : कुलसचिव)
	ii. **राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.7(4)डीओपी/ए-2/2023-04341 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार विश्वविद्यालय अशैक्षणिक स्टॉफ नियुक्ति एवं पदौन्नति नियम-1998 के पदौन्नति नियम के शैड्यूल A व B में वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित अनुभव में 2 वर्ष तक शिथिलीकरण प्रदान करने के संबंध मे।**

AiCe

माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी नियुक्ति एवं पदौन्नति नियम-1998 के पदौन्नति नियम के शैड्यूल A व B में निर्धारित अनुभव में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.7(4)डीओपी/ए-2/2023-04341 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित अनुभव में पदौन्नति हेतु 2 वर्ष की शिथिलीकरण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

iii. **विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति की पालना एवं शैक्षणिक संवर्ग के पदों के रोस्टर का अनुमोदन करने बाबत।**

माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति पालना हेतु गठित समिति द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के पदों का रोस्टर निर्धारण कर प्रस्तुत की गई अनुशंषा का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

iv. **विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति की पालना एवं अशैक्षणिक संवर्ग के पदों के रोस्टर का अनुमोदन करने बाबत।**

माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति पालना हेतु गठित समिति द्वारा अशैक्षणिक संवर्ग के पदों का रोस्टर निर्धारण कर प्रस्तुत की गई अनुशंषा का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : कुलसचिव)

धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

7/6/23

(सुनीता चौधरी)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल

07-06-2023

(अरूण कुमार)
कुलपति एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल